# श्री कृष्ण लोक प्रशासन संस्थान, राँची

पत्रांक—742/स्कीपा दिनांक 15.05.2021

प्रेषक,

एल0 खियांग्ते, भा0प्र0से0
महानिदेशक

सेवा में,

मुख्य सचिव,
झारखण्ड सरकार,राँची

विषयः— भारत सरकार द्वारा कोविड—19 महामारी के रोकथाम हेतु निर्गत दिशा—निर्देश के आलोक में संस्थान द्वारा की गई कार्रवाई की सूचना का प्रेषण ।

प्रसंगः— मुख्य सचिव कार्यालय, झारखण्ड सरकार का गै0सं0प्रे0 संख्या— 255/मु0स0का0 दिनांक 14.05.2021

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र द्वारा मांगा गया प्रतिवेदन एवं संस्थान के स्तर पर की गई कार्रवाई से संबंधित सूचना निम्नलिखित प्रपत्र में अंकित करते हुए निर्गत कार्यालय आदेश की प्रति संलग्न कर आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित की जाती है ।

| क्रम सं0 | भारत सरकार द्वारा निर्गत पत्र सं0 एवं दिनांक | झारखण्ड सरकार द्वारा निर्गत पत्र सं0 एवं दिनांक | विषय | अनुपालन पत्र संख्या एवं दिनांक |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 40—3/2020—डीएम—1(ए) दिनांक 15.04.2020 | कार्मिक विभाग का पत्रांक 16/विविध—04—10/2016—2181 दिनांक 18.04.2020 | नोवेल कोरोना वायरस के प्रसार को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार के कार्यालय संचालन के संबंध में | संस्थान का ज्ञापांक 181 दिनांक 20.04.2020 एवं 186 दिनांक 04.05.2020 |
| 2 | 19011/1/2020—टी.एफ.ए. दिनांक 03.07.2020 | गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग का पत्रांक —3258 दिनांक 17.12.2020 | Containment of Covid-19 – Standard Operating Procedure (SOP) for functioning of Training Institutes of the Central and State/UT Governments w.e.f.15th July 2020 | 1. संस्थान का पत्रांक—19 दिनांक 08.01.2021<br>2. 58 दिनांक 18.01.2021<br>3. 43 (ए) दिनांक 15.01.2021<br>4. 44(ए) दिनांक 15.01.2021<br>5. 45 (ए) दिनांक 15.01.2021<br>6. 27 दिनांक 28.01.2021<br>7. 227 दिनांक 05.02.2021<br>8. ज्ञापांक 234 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | दिनांक 09.02.2021<br>9. 476 दिनांक 08.03.2021 |
| 3 | 19011/1/2020–टी.एफ.ए. दिनांक 25.03.2021 | | Functioning of Training Institutions of Central/State Governments&Revised Standard Operating Procedure (SOP) | 10. इस पत्र में अंकित लगभग सभी आदेश पूर्व में निर्गत आदेश का विस्तार एवं सरलीकरण था । जिसका अनुपालन संस्थान द्वारा पूर्व में निर्गत आदेशों में लगभग किया जा चुका था। |
| 4 | | गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग का ज्ञापांक –01/सी.एस./रेसी. दिनांक 18.04.2021 | दिनांक 19.04.2021 से अगले आदेश तक कोविड महामारी के रोकथाम हेतु दिशा–निर्देश | 11. ज्ञाप सं0– 695 दिनांक 19.04.2021 |
| 5 | | गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग का ज्ञापांक –250 दिनांक 20.04.2021 | दिनांक 22.04.2021 के प्रातः 6 बजे से 29.04.2021 प्रातः 6 बजे तक "स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह का अनुपालन | 12. सरकार द्वारा निर्गत दिशा–निर्देश के अनुसार संस्थान का कार्य संचालित किया गया । |
| 6 | | गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग का ज्ञापांक –82/सी.एस./रेसी. दिनांक 28.04.2021 | दिनांक 29.04.2021 के प्रातः 6 बजे से 06.05.2021 प्रातः 6 बजे तक "स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह का अनुपालन | 13. ज्ञापांक– 730 दिनांक 29.04.2021 वर्तमान में इसी आदेश पर संस्थान का कार्यकलाप सुनिश्चित किया जा रहा है । |

विश्वासभाजन

15.5.2021

(एल0 खियांग्ते)
महानिदेशक

15.5.21

# श्री कृष्ण लोक प्रशासन संस्थान, राँची

## सूचना

कार्यालय आदेश—50——स्कीपा                                        दिनांक 29.04.2021

कोविड महामारी के रोकथाम एवं बचाव हेतु ''स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह'' के तहत दिनांक 29.04.2021 से दिनांक 06.05.2021 के प्रातः 6. 00 बजे तक के लिए झारखण्ड सरकार के गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, राँची के ज्ञापांक——82/सी.एस./आर.ई.एस. दिनांक 28.04.2021 द्वारा निर्गत दिशा–निर्देश के आलोक में संस्थान के कार्यकलापों के संबंध में निम्नलिखित आदेश का पालन किया जायगाः—

1. सभी पदाधिकारी एवं कर्मचारी अपने घर से कार्य करेंगे । आवश्यकता पड़ने पर उन्हें कार्यालय बुलाया जायगा ।
2. संस्थान छात्रावास में प्रतिनियुक्त सभी कर्मचारी एवं पदाधिकारी अपने कर्तव्य पर तबतक लगातार आऐंगे जबतक प्रशिक्षणार्थी छात्रावास न छोड़ दें ।
3. संस्थान में रखे गए सफाई कर्मी एवं सुरक्षा व्यवस्था में प्रतिनियुक्त सभी गृहरक्षक अपने कर्तव्य पर उपस्थित रहेंगे ।
4. सभी पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों को निर्देश दिया जाता है कि इस अवधि में वे अपने मोबाईल को स्वीच ऑफ नहीं रखेंगे तथा अपने परिवार के किसी भी एक सदस्य का मोबाईल नम्बर संस्थान में उपलब्ध करायेंगे ताकि उनका मोबाईल स्वीच ऑफ रहने पर एवं आवश्यकता पड़ने पर उनसे सम्पर्क किया जा सके ।

(हिमांशु मोहन)
उप निदेशक(प्र0)

ज्ञापांक—730—/स्कीपा                                        दिनांक 29.04.2021

प्रतिलिपिः— महानिदेशक कोषांग /सभी पदाधिकारी एवं कर्मचारी को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित ।

(हिमांशु मोहन)
उप निदेशक(प्र0)

# श्री कृष्ण लोक प्रशासन संस्थान
# झारखण्ड सरकार, राँची।

(169)

कार्यालय आदेश संख्या – 43          दिनांक 19-4-2021

गृह एवं आपदा प्रबंधन, झारखण्ड सरकार की ओर से मुख्य सचिव, कोषांग का ज्ञाप संख्या – 01 /CS/RES/दिनांक 18.04.2021 की कंडिका 4 के अन्तर्गत सभी प्रशिक्षण संस्थान को बन्द करने का निर्णय लिया गया है इसके आलोक में संस्थान में चल रहे सभी प्रशिक्षण कार्यक्रम को अगले आदेश तक बन्द किया जाता है।

ज्ञातव्य है कि गृह एवं आपदा प्रबंधन विभाग, झारखण्ड सरकार के पत्रांक 3262 दिनांक 23.12.2020 से प्राप्त दिशानिर्देश के आलोक में कोविड 19 के निर्देशों का पालन करते हुए प्रशिक्षण प्रारम्भ किया गया था।

19/4/2021
(एल० खियांग्ते)
महानिदेशक

ज्ञाप संख्या – 695 /स्कीपा, राँची दिनांक – 19-4-2021
प्रतिलिपि :– मुख्य सचिव, झारखण्ड, राँची/ प्रधान सचिव, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड/प्रधान सचिव, गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, झारखण्ड, राँची /महानिदेशक कोषांग /निदेशक कोषांग /संस्थान के सभी संकाय सदस्यों/सभी कर्मचारियों को सूचनार्थ प्रेषित।

19/4/2021
(एल० खियांग्ते)
महानिदेशक